समक्ष एस.एस. सोढ़ी जे.

परवीन हंस,-याचिकाकर्ता,

बनाम

रजिस्ट्रार, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ और अन्य, - प्रतिवादी।

सिविल रिट याचिका संख्या 1989 का 13799.

30 नवंबर, 1989.

*भारत का संविधान,*1950—कला. 14 और 226—एलएलबी में प्रवेश। पंजाब विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम - विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और उनके वार्डों के लिए 15 सीटों का सृजन - प्राप्त उद्देश्य के साथ कोई संबंध नहीं - ऐसा आरक्षण - भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक - हालांकि, पहले से किए गए प्रवेश रद्द नहीं किए जाएंगे - याचिकाकर्ता के लिए अतिरिक्त सीट बनाई गई।

*आयोजित,*विश्वविद्यालय में प्रवेश बड़े पैमाने पर समाज के लिए है और जो आरक्षण दिया जाता है, वह उस नुकसान या बाधा के लिए भत्ते बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है जिससे एक विशेष श्रेणी पीड़ित हो सकती है। वे केवल कल्याण के उपाय के रूप में दिए जाने के लिए नहीं हैं। आरक्षण, जैसा कि पहले उल्लिखित बाध्यकारी न्यायिक उदाहरणों में माना गया है, प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ कोई उचित संबंध नहीं रखता है और स्पष्ट रूप से भेदभावपूर्ण है और इस प्रकार इसे पूरी तरह से असंवैधानिक माना जाना चाहिए।

(पैरा 8)

*आयोजित,*उनका प्रवेश रद्द करना स्पष्ट रूप से अनुचित होगा क्योंकि अब उनके लिए कहीं और प्रवेश लेने में बहुत देर हो जाएगी। इनमें से किसी भी सीट पर प्रवेश के लिए कोई भी दावा स्पष्ट रूप से लाचेस द्वारा वर्जित होगा। इन परिस्थितियों में और न्याय के व्यापक हितों के संदर्भ में, पहले से किए गए प्रवेशों में हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है और इसके बजाय, विश्वविद्यालय को याचिकाकर्ता को समायोजित करने के लिए एक अतिरिक्त सीट बनाने का निर्देश दिया जाता है।

(पैरा 10)

*धारा के अंतर्गत सिविल रिट याचिका*भारत के संविधान के 226/227 में प्रार्थना है कि:

(i) *मामले के रिकॉर्ड मांगे जा सकते हैं;*

(ii) *की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश*परिपत्र अनुलग्नक पी/1 और उसके आधार पर की गई स्वीकारोक्ति को रद्द करते हुए परमादेश जारी किया जाए;

(iii) *की एक रिट*प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता को एलएलबी के प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश देने का निर्देश देते हुए परमादेश जारी किया जाए। सत्र 1989-90 के लिए;

(iv) *उन्होंने प्रतिवादी-विश्वविद्यालय को योग्यता सूची की प्रति और उन अभ्यर्थियों के विवरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया, जिन्हें सत्र के लिए कानून विभाग में प्रवेश दिया गया है।*1989-90;

(v) *उन्होंने उत्तरदाताओं को नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया;*

(vi) *अनुलग्नक की प्रमाणित प्रति दाखिल करना*पी/एल में उन्होंने छूट भी दी.

(vii) *कृपया इस रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान याचिकाकर्ता को अनंतिम प्रवेश प्रदान किया जाए।¬*

(viii) *इस याचिका की लागत याचिकाकर्ता को दी जाए।*

सुरिंदर गांधी द्वितीय, 'याचिकाकर्ता के वकील।

प्रतिवादियों की ओर से जेएल गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता, टीएस बग्गा, अधिवक्ता के साथ।

प्रलय

एसएस सोढ़ी, जे.

(1) यहां उठाया गया विवाद पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ के कानून विभाग के एलएलबी पाठ्यक्रम में प्रवेश से संबंधित है और विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और उनके बच्चों के लिए 5 प्रतिशत सीटों के निर्माण और आरक्षण पर आधारित है।

(2) प्रोस्पेक्टस में विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और उनके बच्चों के लिए प्रवेश के लिए सीटों के आरक्षण का कोई उल्लेख नहीं था। 26 जुलाई, 1989 को, जिस दिन प्रवेश पूरा होना था और अंतिम रूप दिया जाना था, पंजाब विश्वविद्यालय ने, उस तारीख के अपने पत्र अनुलग्नक पी/एल के माध्यम से, 5 प्रतिशत की सीमा तक अतिरिक्त सीटें बनाईं और उन्हें कर्मचारियों के लिए आरक्षित किया। विश्वविद्यालय और उनके वार्ड। इस प्रकार, विधि विभाग में 15 सीटें सृजित की गईं और इन्हें इस श्रेणी में से भरा गया।

(3) याचिकाकर्ता परवीन हंस का मामला है कि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और उनके बच्चों के लिए प्रवेश के लिए सीटों का आरक्षण कानून में स्वीकार्य नहीं था और वह इस आरक्षण के आधार पर प्रवेश पाने वालों की तुलना में योग्यता में उच्च होने के कारण प्रवेश का हकदार था। नवसृजित सीटों की.¬

परवीन हंस बनाम रजिस्ट्रार, पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ और अन्य (एसएस सोढ़ी, जे.)

(4) आईपीवी विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और उनके रिश्तेदारों के लिए सीटों का ऐसा आरक्षण वास्तव में भेदभावपूर्ण और पूरी तरह से अनुचित है और न्यायिक उदाहरणों की एक श्रृंखला के अनुसार ऐसा माना गया है। शुरुआत करने के लिए, उमेश चंद्र सिन्हा बनाम वीएन सिंह और अन्य (1) में पटना उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ का फैसला है। वहां मामला पटना मेडिकल कॉलेज में एडमिशन से जुड़ा था. प्रवेश को नियंत्रित करने वाले अध्यादेश में प्रासंगिक प्रावधान रुपये तक वेतन पाने वाले विश्वविद्यालय कर्मचारियों के बच्चों के लिए 2 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करते हैं। 100 प्रति माह. यह माना गया कि जिस उद्देश्य को हासिल करना था और उस सिद्धांत के बीच कोई उचित संबंध नहीं था जिसके आधार पर विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के बच्चों को अधिमान्य उपचार के लिए चुना गया था। अध्यादेश द्वारा प्राप्त किया जाने वाला उद्देश्य मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों के उचित चयन के लिए प्रावधान करना था और इसका विश्वविद्यालय के कर्मचारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली आर्थिक कठिनाइयों या मेधावी सेवाओं के साथ कोई उचित संबंध नहीं था। इस प्रकार, विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के बच्चों के साथ अधिमान्य व्यवहार पक्षपात और संरक्षण के समान होगा। तदनुसार आरक्षण रद्द कर दिया गया।

(5) प्रसन्न दिनकर सोहले आदि बनाम प्रभारी निदेशक लक्ष्मीनारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नागपुर और अन्य (2) मामले में, विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के बच्चों के पक्ष में सीटों के आरक्षण को निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ रद्द कर दिया गया था: -

> “एक और महत्वपूर्ण कारक पर विचार किया जाना चाहिए। वर्गीकरण करते समय कुछ ऐसी विशिष्टताएँ अवश्य होनी चाहिए जो उस वर्ग को बाकियों से अलग करती हों। उदाहरण के लिए, राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अलग-अलग वर्गीकृत

किया जा सकता है, क्योंकि वे स्थानांतरण के लिए उत्तरदायी हैं। विदेशी मिशन में कार्यरत कर्मचारी एक अलग वर्ग होंगे क्योंकि ऐसे कर्मचारियों को अपने बच्चों की शिक्षा में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसी प्रकार, राजनीतिक पीड़ितों के बच्चे एक अलग वर्ग होंगे क्योंकि ऐसे वार्डों को उनके माता-पिता की गतिविधियों (स्वतंत्रता संग्राम में) के कारण सामान्य शैक्षणिक सुविधाएं नहीं मिलेंगी जो दूसरों को मिलेंगी। वर्तमान मामले में, विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को अलग से वर्गीकृत करते समय ऐसा कोई समझदार अंतर नहीं है। ऐसे कर्मचारियों का एक जगह से स्थानांतरण होने की संभावना नहीं है¬¬¬

(1) एआईआर 1968 पटना 3.
(2) एआईआर 1982 बॉम्बे 176।

दूसरे करने के लिए। इसी प्रकार, विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को वे लोग नहीं कहा जा सकता जो किसी अन्य विशिष्ट कठिनाइयों के कारण अपने बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर सके। इस प्रकार 'विश्वविद्यालय कर्मचारियों के वार्ड' किसी भी अन्य कर्मचारियों के वार्डों के बराबर हैं। इतना ही नहीं बल्कि वे अन्य व्यक्तियों जैसे छोटे व्यापारियों, व्यवसायी कारीगरों आदि के वार्डों के बराबर भी हैं। इस चर्चा के मद्देनजर यह स्पष्ट है कि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के वार्डों के पक्ष में चार आरक्षण बनाकर, विश्वविद्यालय ने भेदभावपूर्ण तरीके से काम किया गया और समानता के सिद्धांत का पालन नहीं किया गया। भेदभाव को इस तथ्य से देखा जा सकता है कि इस श्रेणी के चार छात्रों (जो रिट याचिका संख्या 2707/1979 में उत्तरदाता संख्या 3, 6, 7 और 8 हैं) को प्रवेश दिया गया, हालांकि योग्यता के आधार पर उन्हें प्रवेश नहीं दिया जा सका। उनके (प्रतिवादी संख्या 8 को छोड़कर) अंकों का प्रतिशत संयुक्त राष्ट्र से पहले कई याचिकाकर्ताओं के अंकों से काफी कम था; और¬¬¬

."इस तरह से याचिकाकर्ताओं को यह कहने का अधिकार है कि प्रश्न में आरक्षण खराब है। इसलिए, परिणाम यह है कि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के वार्डों के पक्ष में चार आरक्षणों को कायम रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।¬

(6) देर से बाद में बॉम्बे के उच्च न्यायालय ने इस फैसले का पालन अजय कुमार बनाम चंडीगढ़ प्रशासन, यूटी चंडीगढ़ और अन्य (3) मामले में किया, जो पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, चंडीगढ़ से संबंधित था, जहां से 7 सीटें भरी गई थीं। प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद कॉलेज के कर्मचारियों के बच्चों के बीच। ये सभी दाखिले उन्हीं कारणों से रद्द कर दिए गए।

(7) अजय कुमार मित्तल बनाम हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार और अन्य (4) में हमारे न्यायालय का फैसला है, जहां कॉलेज के कर्मचारियों के बच्चों के लिए पशु चिकित्सा कॉलेज में प्रवेश के लिए 2 प्रतिशत आरक्षण को असंवैधानिक माना गया था। इसी तरह का दृष्टिकोण हाल ही में अश्विंदर कौर बनाम पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ और अन्य (5) में भी लिया

गया है।

(8) इस स्थिति का सामना करते हुए, प्रतिवादी विश्वविद्यालय की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री जवाहर लाल गुप्ता ने यह तर्क देने की मांग की कि चूंकि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के बच्चों के पक्ष में यह आरक्षण नव निर्मित सीटों के विरुद्ध किया गया था, इसलिए प्रवेश का दावा करने वाले व्यक्तियों का कोई अधिकार नहीं है। अन्य श्रेणियों के अंतर्गत किसी भी तरह से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इसके अलावा इस तर्क पर इस आरक्षण को उचित ठहराने का प्रयास किया गया कि यह विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के कल्याण के उपाय के रूप में किया गया था। उन्होंने इसके लिए विश्वविद्यालय कर्मचारियों द्वारा आंदोलन की भी चेतावनी दी। उनके तर्क को विश्वसनीयता प्रदान करने के लिए वकील द्वारा विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और उनके बच्चों के लिए इस तरह के आरक्षण को भारतीय रेलवे के कर्मचारियों को दिए जाने वाले रेलवे पास के बराबर करने का प्रयास भी किया गया था। यह वास्तव में पूरी तरह से अस्थिर रुख है। विश्वविद्यालय में प्रवेश बड़े पैमाने पर समाज के लिए होते हैं और जो आरक्षण दिए जाते हैं, वे उस नुकसान या बाधा के लिए भत्ते बनाने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं - जिससे एक विशेष श्रेणी पीड़ित हो सकती है। वे केवल कल्याण के उपाय के रूप में दिए जाने के लिए नहीं हैं। इसलिए, रेलवे कर्मचारियों को दिए जाने वाले रेलवे पास की सादृश्यता जांच के दायरे में नहीं आ सकती। विश्वविद्यालय के कर्मचारियों द्वारा आंदोलन का संदर्भ विश्वविद्यालय के अधिकारियों को कार्रवाई के लिए झुकने को उचित नहीं ठहरा सकता है, जो स्पष्ट रूप से कानून के विपरीत है। जैसा कि बाध्यकारी न्यायिक उदाहरणों में कहा गया है, आरक्षण का उल्लेख किया गया है। पहले, प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ कोई उचित संबंध नहीं रखते और स्पष्ट रूप से भेदभावपूर्ण होते हैं और इस प्रकार उन्हें पूरी तरह से असंवैधानिक माना जाना चाहिए।¬¬¬¬

(3) एआईआर 1984 पंजाब और हरियाणा 278।
(4) एआईआर 1989 पी एंड एच 190।

(9) इसके अलावा, याचिकाकर्ता परवीन हंस की यह दलील कि वह उन व्यक्तियों की तुलना में योग्यता में उच्च था, जिन्हें इन नव निर्मित सीटों पर प्रवेश दिया गया था, का खंडन नहीं किया गया है। ऐसा होने पर, याचिकाकर्ता स्पष्ट रूप से मांगे गए प्रवेश का हकदार है और तदनुसार प्रतिवादी-विश्वविद्यालय को याचिकाकर्ता को तुरंत प्रवेश देने का निर्देश जारी किया जाता है।¬¬

(10) जहां तक विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और उनके बच्चों को उनके पक्ष में विवादित आरक्षण के अनुसरण में दिए गए प्रवेश का संबंध है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वे जुलाई में ही दिए गए थे और अब नवंबर 1989 का अंत है, यह स्पष्ट रूप से होगा उनका प्रवेश रद्द करना अनुचित होगा क्योंकि अब उनके लिए कहीं और प्रवेश लेने में बहुत देर हो जाएगी। इनमें से किसी भी सीट पर प्रवेश के लिए कोई भी दावा स्पष्ट रूप से लाचेस द्वारा वर्जित होगा। इन परिस्थितियों में और न्याय के व्यापक हितों के संदर्भ में, पहले से किए गए प्रवेशों में हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है और इसके बजाय, विश्वविद्यालय को याचिकाकर्ता परवीन हंस को समायोजित करने के लिए एक अतिरिक्त सीट बनाने का निर्देश दिया जाता है।¬

(11) इस मामले से अलग होने से पहले, यह देखा जाना चाहिए कि यह ज्ञात और स्थापित कानून की घोर अवहेलना थी कि विश्वविद्यालय ने अपने कर्मचारियों और उनके वार्डों के लिए अतिरिक्त सीटें बनाई और आरक्षित कीं और इसलिए, इस कार्रवाई पर प्रतिकूल टिप्पणी होनी चाहिए। यह स्पष्ट रूप से विश्वविद्यालय प्राधिकारियों पर निर्भर है कि वे सुनिश्चित करें कि कानून की ऐसी अवहेलना दोबारा न हो। यदि इस तरह का आरक्षण दोबारा किया जाता है, तो विश्वविद्यालय के अधिकारियों को यह ध्यान में रखने की सलाह दी जाएगी कि इसे यहां दोहराए गए निषेध का जानबूझकर उल्लंघन माना जाएगा और ऐसा करने वालों को दंडात्मक परिणाम भुगतने पड़ेंगे। यह सामान्यतः इस न्यायालय के निर्देशों की अवज्ञा से उत्पन्न होता है।

(12) तद्नुसार यह रिट याचिका लागत सहित स्वीकार की जाती है। वकील की फीस रु. 500.

(13) इस फैसले की एक प्रति पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ के कुलपति को भेजी जाए।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

जसप्रीत कौर

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

हिसार, हरियाणा